बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत सेवानिवृत अंकेक्षकों/अंकेक्षण पदाधिकारियों की सेवा संविदा पर लिये जाने हेतु विज्ञापन अंतिम तिथि–21 अक्टूबर, 2022

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या–1186 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग का सृजन किया गया है। उक्त संवर्ग के गठन के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों का अंकेक्षण, लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का महालेखाकार, बिहार से समायोजन एवं महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण आपत्ति के लंबित कंडिकाओं के निष्पादन इत्यादि हेतु **बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के रिक्त पदों के विरूद्ध केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों/संस्थाओं (यथा–महालेखाकार/इंडियन डिफेंस एकाउंटस्/इंडियन सिविल एकाउंटस्/इंडियन रेलवेज एकाउटस्/इंडियन पोस्टल एकाउंटस्/बिहार वित्त अंकेक्षण सेवा, बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा एवं अन्य) से सेवानिवृत अंकेक्षकों/अंकेक्षण पदाधिकारियों** की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किया जाता है।

2. संविदा आधारित अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारी हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	आरक्षण कोटि	पुरूष	महिला	कुल
1	सामान्य	59	53	112
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	26	11	37
3	पिछड़ा वर्ग	27	15	42
4	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	35	25	60
5	अनुसूचित जाति	33	22	55
6	अनुसूचित जनजाति	03	01	04
7	पिछड़ा वर्ग की महिला	00	11	11
	कुल	**183**	**138**	**321**

03. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :–

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) (i) सेवा निवृत अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारियों का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–03/एम063/2013 सा0प्रे0–10000, दिनांक 10.07.2015 के उपबंधों से आच्छादित होगी।

(ii) चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। (दिनांक 01.12.2022 को 64 वर्ष 06 माह की उम्र पूर्ण हो जाने की स्थिति में आवेदन मान्य नहीं होगा)।

04. मासिक मानदेय की राशि, सेवानिवृत सेवकों को प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन एवं पेंशन की राशि पर महँगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगा।

05. सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

06. पंचायती राज विभाग के उपलब्ध लिंक वेबसाईट – https://state.bihar.gov.in/biharprd पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से **दिनांक 21.10.2022** के अपराह्न 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन स्वीकार की जायेगी। अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारियों के संबंधित पदों की संख्या/आरक्षण कोटिवार रिक्ति का विवरण पंचायती राज विभाग के इस वेबसाईट– https://state.bihar.gov.in/biharprd पर प्रदर्शित है।

07. Online आवेदन समर्पित करने के उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

08. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण–पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

09. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

10. आवेदक इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरूद्ध (i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है। (ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है। (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है एवं (iv) किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

11. आवेदक ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का मुद्रित प्रति के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ कॉउनसेलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। पेंशन भुगतान आदेश **(P.P.O)** समर्पित करना अनिवार्य होगा।

12. कॉउनसेलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. एतद् संबंधित अग्रेत्तर सूचना विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/biharprd पर दी जायेगी।